

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

जनपद मुजफ्फरनगर।

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी0 के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है।

पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित होगा, जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिकमित या नियंत्रित करने के लिये सशक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

1. जनपद में पुलिस का संगठन:-

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है।

अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी	थाना क्षेत्र
1.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुजफ्फरनगर। 2.पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मुजफ्फरनगर 3.पुलिस अधीक्षक,ग्रामीण जनपद मुजफ्फरनगर 4.पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद मुजफ्फरनगर। 5.पुलिस अधीक्षक,अपराध मुजफ्फरनगर	क्षेत्राधिकारी नगर	1.कोतवाली नगर 2. सिविल लाईन 3. महिला थाना
	क्षेत्राधिकारी नई मण्डी	4. नई मण्डी 5. सिखेडा
	क्षेत्राधिकारी सदर	6.पुरकाजी 7.छपार 8.चरथावल
	क्षेत्राधिकारी खतौली	9. खतौली 10.मन्सूरपुर
	क्षेत्राधिकारी भोपा	11.भोपा 12.ककरौली
	क्षेत्राधिकारी जानसठ	13.जानसठ 14.रामराज 15.मीरापुर
	क्षेत्राधिकारी बुढाना	16.बुढाना 17.रतनपुरी 18.शाहपुर
	क्षेत्राधिकारी फुगाना	19.फुगाना 20.तितावी 21.भौराकलां

पुलिस अधिनियम की धारा-22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम-1861 की धारा-23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा लोक शान्ति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधो व लोक अवदूषण का निवारण करें।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0सं0, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अर्न्तगत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य है:-

2.1 पुलिस अधिनियम:-

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षवान पाये जाये
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी समक्ष प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करें, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक अवदूषण का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करें जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा
25	लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति
30क	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का वध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में लें
34क	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है
47	ग्राम चौकीदार पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व

2.2 पुलिस रेगुलेशन

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित है तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित कराना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनु रूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विनिर्दिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाईन का निरीक्षण कराना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p> <p>पडोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेट आवश्यक है पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपे जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।</p>
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	<p>सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।</p>
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	<p>प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं, जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।</p>
24 रिजर्व सबइंस्पेक्टर	<p>रिजर्व सब इंस्पेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।</p>
43 से 50 थानाध्यक्ष	<p>थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्ट्रों, अभिलेखों विवरणियों और रिपोर्ट की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा उसे क्षेत्र के सभी सभ्रान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कांस्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफ्तीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नं० 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।</p>

51	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना, अन्वेषण करना होता है।
55 हेड मोहररि	हेड मोहररि के कर्तव्य (1) रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। (2) हिन्दी रोकड बही (पुलिस फार्म नं० 224) (3) यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दे तो धारा 174 द०प्र०सं० के अर्न्तगत पंचायतनामा लिखना
61 से 64 बीट आरक्षी	का० नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम कराना है। थाने पर संन्तरी डियूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोष तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स० के रूप में संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के सरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83 घुडसवार	घुडसवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

द.प्र.सं की धारा	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियाँ 1. संज्ञेय अपराध की दशा में। 2. कबजे से गृह भेदन का उपकरण 3. उद्घोषित अपराधी 4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा 6. सशस्त्र बलों का भगोडा। 7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध। 8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9. वांछित अपराधी।
42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
48	गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अक्रामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।

58	बिना वारण्ट गिरफ्तारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति
100	बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है तलाशी लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।
129	उपनिरीक्षक व उससे समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करने की शक्ति।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
131	जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।
132	धारा 129,130,131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से सरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट मापों का निरीक्षण/अधिग्रहण।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्टि करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा
156	संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
160	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रायोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रायोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जब्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।

169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाही को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजन से व्यक्तियों को शमन करने की शक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी निर्देश:-

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्दीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनो के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये है।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जायें।
2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दी जायेगी।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट सम्बन्धी को दी जायेगी।
4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचित करने वह अधिकृत है।
6. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
8. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
9. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।
10. जांच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
11. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

3.1 अनुसंधान/विवेचना:-

क्र. सं.	कार्यवाही	कार्य स्तर	अविध
1.	प्र०सू०रि० पंजीकरण का	154 द०प्र०सं० के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2.	साक्षियों का परीक्षण	161 द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र
3.	अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र
4.	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथाशीघ्र
5.	साक्ष्य का संकलन	द०प्र०सं० के अनुसार	कार्यवाही
6.	नक्शा नजरी तैयार करना	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र
7.	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	द०प्र०सं० के अनुसार	निरीक्षण के समय
8.	संस्वीकृति का लिखा जाना	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र
9.	पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र
10.	तलाशी	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र
11.	निरूद्धि	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र
12.	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र
13.	आरोप पत्र का दाखिल करना	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र

3.2 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

3.3.1 थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष / दिवसाधिकारी / उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	तत्काल
2.	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाले नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी / उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	अविलम्ब
3.	प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	अविलम्ब
4.	जांच अधिकारी नियुक्त करना व जांच हेतु सौपना	थाना प्रभारी द्वारा	01 दिवस
5.	जांच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जांच अधिकारी द्वारा	05 दिवस में
6.	थानाध्यक्ष द्वारा जांच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	01 दिवस में
7.	जांच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आवश्यक हो करना	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
8.	जांच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां० क्लर्क द्वारा	01 वर्ष तक

3.3.2 पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
2.	पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	पुलिस अधीक्षक / निमित्त राजपत्रित अधिकारी	01 दिवस
3.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक	01 दिवस
4.	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
5.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या स्वयं जांच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जांच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	02 दिवस में
6.	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के का० क्लर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के का० क्लर्क द्वारा	अविलम्ब
7.	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परीशीलन कर या तो स्वयं जांच करना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक / बीट आरक्षी को जांच हेतु भेजना	थानाध्यक्ष द्वारा	02 दिवस में
8.	जांच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जांच अधिकारी द्वारा	08 दिवस में
9.	थानाध्यक्ष द्वारा जांच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
10.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच सही पाये जाने पर जांच रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	अविलम्ब
11.	जांच रिपोर्ट का रखरखाव	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के का० क्लर्क द्वारा	02 वर्ष

3.3.3 पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोग व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परीशीलन करके संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस
2.	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित को जाँच हेतु प्रेषित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस में
4.	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा आर्डर बुक कराना	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा	अविलम्ब
5.	पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परीशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस में
6.	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.4 फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया:—

क्र० सं०	प्रतिष्ठान	पत्र/आदेश प्राप्ति का स्थान	निरीक्षण (द्वारा)	समयावधि
1.	पेट्रोल/डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्निशमन अधिकारी	15 दिवस
2.	पेटी/डीजल (फुटकर डीजल/पेट्रोल)	जिलाधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्निशमन अधिकारी	उपरोक्त
3.	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4.	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
5.	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी/मनोरंजनकर अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
6.	होटल/लाज/रेस्टोरेन्ट धर्मशाला	जिलाधिकारी/पर्यटन अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
7.	ब्यावसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण/आवास विकास निगम	उपरोक्त	उपरोक्त
8.	फैक्ट्री	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरोक्त	उपरोक्त

3.3.5 जनपद मुजफ्फरनगर में यातायात के नियम :-

1-मुजफ्फरनगर से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात रूट डायवर्जन-

मुजफ्फरनगर से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात मुजफ्फरनगर से खतौली- मेरठ होते हुए दिल्ली को जाता है।

2-मुजफ्फरनगर से हरियाण की ओर जाने वाले

मुजफ्फरनगर से हरियाणा की ओर जाने वाला यातायात मुजफ्फरनगर से शामली होते हुये हरियाणा जाता है।

3.3.6 जनपद मुजफ्फरनगर में यातायात व्यवस्था को सुद्रढ करने हेतु किये गये प्रयास:-

1. अस्थायी पार्किंग व्यवस्था:-

पार्किंग हेतु नगर निगम से सम्पर्क स्थापित कर शहर के मुख्य स्थानों, शिव चौक, टाऊन हाल, आलू मण्डी पर अस्थायी पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और सडक के किनारों पर सफेद लाईन डालकर वाहनों के लिए अस्थायी पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है।

2.महावीर चौक पर जानसठ फलाई ओवर के पास खडे होने वाले आटो के सम्बध मे:-

महावीर चौक पर अवैध तरीके से खडे वाहनों पर कार्यवाही कर उन्हे एक निर्धारित स्थान पर खडा करने के लिए निर्देशित किया गया है,एवं सडक के मध्य सवारी भरने वाले आटो चालकों के विरुद्ध एम0वी0 एक्ट0 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

3.एकल दिशा मार्ग के सम्बन्ध में :-

एकल दिशा मार्ग के सम्बन्ध में शहर के सबसे भीड-भाड वाले स्थान शिव चौक पर एकल दिशा मार्ग का प्रयोग किया गया,जिसमें झांसी की रानी से आलू मण्डी की ओर व शिव चौक से झांसी की रानी की ओर जाने वाले वाहनो पर यह कार्यवाही अमल में लाई गई है।

4.ई-रिक्शा के सम्बन्ध में।

ई-रिक्शा के सम्बन्ध में शहर के भीड-भाड वाले स्थानों में बैट्ररी चालित रिक्शा का रूट डायवर्जन किया गया है जो कि शिव चौक से भगत सिंह रोड व हनुमान चौक से शिव चौक तक पूर्णतय प्रतिबन्धित है।

5. यातायात सिग्नल के सम्बन्ध में।

शहर के तीन मुख्य चौराहों पर लगे यातायात सिग्नलों को सही कराने लिए एम0डी0ए0 को पत्राचार कर अवगत कराया गया है। जिससे की यातायात व्यवस्था को सुगमता से प्रवाहित किया जा सके।

6. शराब पीकर वाहन चलाने वालो के सम्बन्ध में।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ब्रेन्थ ऐनालाईजर की सहायता से अभियान चलाकर शहर के मुख्य-मुख्य चौराहों एव स्थानों पर कार्यवाही की गई।

7. दुर्घटनाओं में कमी लाने के सम्बन्ध में ।

दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जनपद स्तर पर पी0डब्लू0डी0,एन0एच0ए0आई0 व एम0डी0ए0 से सम्पर्क स्थापित करके सडकों को ठीक कराने, स्पीड ब्रेकर व सडको पर डिवाइडर लगाने व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगवाने हेतु पत्राचार किया गया है एवं यातायात पुलिस द्वारा सडक पर तीखे मोड़ों पर सांकेतिक बोर्ड लगवाये गये एवं वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाये गये।

8. स्कूलों के सामने अवैध रूप से पार्किंग के सम्बन्ध में ।

यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु शहर के होली ऐन्जील स्कूल, शारदेन स्कूल, एम0जी0 पब्लिक स्कूल एवं केन्द्रिय स्कूल के सामने अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी व निर्धारित स्थान पर वाहनों को पार्क करने हेतु निर्देशित किया गया ।

9. अतिक्रमण के सम्बन्ध में ।

अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रशासन एवं यातायात पुलिस, नगर निगम व जनपद पुलिस द्वारा शहर में भीड़-भाड़ वाले स्थानों से अतिक्रमण करने वालों के प्रति अभियान चलाकर शिव चौक, रोडवेज स्टैंड, कोर्ट रोड मीनाक्षी चौक, आर्य समाज रोड, अन्सारी रोड, जिला अस्पताल रोड व नावल्टी चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई ।

10. प्रतिबन्धित क्षेत्र की व्यवस्था:—यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु शहर में निम्नलिखित स्थानों को प्रतिबन्धित किया गया है जिसमें भारी वाहनों को प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक प्रतिबन्धित किया गया है। जो निम्न प्रकार है:—

1. शामली रोड:—चरथावल मोड से शहर क्षेत्र में वर्जित ।
2. मेरठ रोड:— सुजडू चौकी से शहर क्षेत्र में वर्जित ।
3. जानसठ रोड:— अलमासपुर चौक से शहर क्षेत्र में वर्जित ।
4. भोपा रोड:—राजवाहे की पटरी से शहर क्षेत्र में वर्जित ।
5. रूडकी रोड:—रामपुर तिराहे से शहर क्षेत्र में वर्जित

3.3.6.1. प्रमुख सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के पत्र सं0:618/6-पु0-2-2006-200(3)94-टीसी दिनांक 29.06.2006 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन

अधिनियम 1988 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध व जुर्माना

क्र० सं०	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1.	मोटर चालक द्वारा बिना लाईसेंस गाडी चलाना	3/181	रु० 5000/-
2.	किसी अवयस्क द्वारा मोटर गाडी चलाना या उससे चलवाना	4/181	रु० 5000/- से रु० 25000/-
3.	बिना लाईसेंस गाडी चलवाना	5/181	रु०-5000/-
4.	बिना पंजीकरण गाडी चलाना	39/192	रु०-5000-10000
5.	बिना फिटनेस कराये गाडी चलाना	56/192	रु०-5000-10000
6.	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाडी चलाना	66/192	रु०-10,000/-
7.	गति सीमा से अधिक गाडी चलाना	112/183	रु०-2000/-हल्के वाहन रु०-4000/-माध्यम/भारी माल यान
8.	एक दिशा मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना	115/194	रु०-2000/-
9.	वैधानिक प्रतिबन्धों का उल्लंघन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना	115/194	रु०-10,000/-
10.	शान्ति क्षेत्र में आज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र)	115/194	रु०-1000/-
11.	यातायात चिन्हों का पालन न करना	119/177	रु०-500 से 1500/-
12.	खतरनाक दिशा में गाडी खडी करना जिससे यातायात बाधित हो	122/177	रु०-500-1500
13.	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठना	128/177	रु०-1000/-
14.	बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाना	129/177	रु०-1000/-
15.	किसी मोटर चालक से लाईसेन्स व गाडी के कागज मांगने पर न दिखाना	130/177	रु०-500-1500/-
16.	दोषपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना	16/177	रु०-300-500
17.	अधिक धुआं वाहन से निकलना	190(2)	रु०-10,000/-
18.	बिना इन्श्योरेंस के वाहन चलाना	146/196	रु०-2000 -4000/-
19.	पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन	119/177	रु०-500-1500
20.	शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करके	185/202	रु०-2000-5000
21.	शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना	186	रु०-5000-10000

22.	अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेन्स देना	6(2)/177	रू0-500-1500/-
23.	वाहन में अनाधिकृत हस्तक्षेप या उसके रंग रूप से छेड छेड करना।	115/198	रू0-1000/-
24.	बारह माह से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का उपयोग करने पर	47/177	रू0-500-1500/-
25	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अथवा अनुज्ञेय पत्र में यात्री परिवहन निगम यान में अधिक यात्रियों को ले जाना।	135/194	रू0-200/- प्रति यात्री

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के हे0कां0 (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अर्न्तगत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियां की जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती है। लाल रंग की प्रति को न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो सम्बन्धित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अर्न्तगत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

3.3.7 स्थानीय अभिसूचना ईकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया:-

3.3.7.1 एफआरओ(विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के संबंध में।

जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफआरओ होते हैं, जिनके पाक/बंगलादेश व विदेशी नागरिकों के संबंध में अलग-अलग कर्तव्य हैं।

अ- विदेशी शाखा/ विदेशी नागरिकों के संबंध में :-

दिनांक 30.9.2019 को जारी गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी नये वीजा मैनुअल के अनुसार विदेशी नागरिकों के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा आपातकालीन स्थिति में एक्जिट परमिट की अनुमति विदेशी नागरिकों को प्रदान की जाती है। वर्तमान में विदेशी नागरिकों के समस्त वीजा प्रकरणों पर निर्णय एफआरओ कार्यालय लखनऊ द्वारा ऑनलाईन सम्पादित किया जा रहा है। विदेशियों के निवास वृद्धि का अधिकार भी अब एफआरओ कार्यालय लखनऊ द्वारा ही सम्पादित किया जाता है। बांग्लादेश/अफगानिस्तान के नागरिकों को वीजा वृद्धि/एलटीवी के प्रकरण भी एफआरओ कार्यालय लखनऊ द्वारा ही सम्पादित किये रहे हैं।

ब- पाकिस्तानी नागरिकों के संबंध में :-

दिनांक: 30.9.2019 को जारी गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी नये वीजा मैनुअल चैप्टर नं० 20 के अनुसार पाक नागरिकों के मामले में एफओआरओ सिविल अथॉरिटी के अधिकृत अधिकारी हैं। जनपद में आये हुये पाक नागरिकों का पंजीकरण करके ठहरे हुये अवधि में उनकी निगरानी करवाते हुये समय से पाक खाना करने की जिम्मेदारी भी सिविल अथॉरिटी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की होती है। पाक नागरिकों की एलटीवी स्वीकृत करने के सम्बन्ध में समस्त अधिकार गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं उ०प्र०शासन लखन०197 को प्रदत्त हैं। एलटीवी स्वीकृत होने के उपरान्त पाक नागरिकों की एलटीवी वृद्धि का अधिकार एफओआरओ को प्रदत्त है। केवल विशेष अनुकम्पा वाले प्रकरण सिविल अथॉरिटी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने उनके एलटीवी वृद्धि करने के संबंध में निर्णय शासन द्वारा लिया जाता है। पाक/विदेशी मामलों से सम्बन्धित कार्यवाही एलओआईओ कार्यालय में स्थित पाक/विदेशी शाखा से सम्पादित की जाती है।

3.3.8 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया

3.3.8.1 पाईवेट वेरीफिकेशन

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत	डी.एम. कार्यालय में वहां से प्रधानलिपिक के पास आयेगा	कार्यालय अवधि
चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20रु0 शुल्क के रूप में लिया जाना	अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क 20 रूपये सम्बन्धित बैंक/ट्रेजरी में जमा कराया जाना	अविलम्ब
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	01 दिवस
सम्बन्धित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	06 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	प्रभारी निरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	06 दिवस में
चरित्र सत्यापन बाद जांच डी.एम. कार्यालय वापस किया जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस में

3.3.8.2 पुलिस वेरीफिकेशन

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
सम्बन्धित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.8.3 सर्विस वेरीफिकेशन

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मियों के नियुक्ति स्थल से कर्मियों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
सम्बन्धित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ०नि० द्वारा	03 दिवस में
एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल०आई०यू० द्वारा	03 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.8.4 मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
सम्बन्धित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ०नि० द्वारा	03 दिवस में
एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल०आई०यू० द्वारा	03 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.8.5. ठेके दारी वेरीफिकेशन

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20रु० शुल्क के रूप में लिया जाना	अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क 20 रुपये सम्बन्धित बैंक/ट्रेंजरी में जमा कराया जाना	अविलम्ब
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय से सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
सम्बन्धित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ०नि० द्वारा	07 दिवस में
सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति/असंस्तुति	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	07 दिवस में
एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	उपनिरीक्षक एल०आई०यू० द्वारा	07 दिवस
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद/डी०एम० कार्यालय को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.9. शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण	कार्य दिवस/कार्यालय अवधि में किसी भी समय
2	संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना	संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा	15 दिवस
3	डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के संबंध में जांच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी	07 दिवस
4	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किया जाना	संबंधित क्षेत्राधिकारी	06 दिवस
5	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण द्वारा जांच किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण	06 दिवस
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा	अविलम्ब

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड:-

4.1 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिस को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उसके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना।
9. प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
13. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाईचारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम:-

क्र०सं०

1. पुलिस अधिनियम 1861
2. भारतीय दण्ड संहिता 1861
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
4. उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
5. उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
6. साक्ष्य अधिनियम 1872
7. आर्म्स एक्ट 1959
8. सिविल अधिकार संरक्षण अधि० 1955
9. अनु० जाति व अनु०जनजाति अधिनियम 1989
10. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि० 1949
11. आवश्यक वस्तु अधि० 1955(उ०प्र० संशोधन अधि० 1978)
12. चोर बाजारी नि० और आवश्यक वस्तु प्रदय अधि० 1980
13. खाद्य अपमिश्रण नि० अधि० 1954
14. उपभोक्ता संरक्षण अधि० 1986
15. पशु अतिचार अधि० 1861
16. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
17. बन्दी अधिनियम 1900
18. सर्वाजनिक जुआ अधिनियम 1867
19. किशोर न्याय अधिनियम 1986
20. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
21. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
22. स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
23. स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
24. बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930
25. लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
26. विस्फोटक अधिनियम 1884
27. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
28. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
29. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
30. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
31. महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशेध अधिनियम 1986
32. भारतीय वन अधिनियम 1927
33. वन संरक्षण अधिनियम 1980
34. विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
35. बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955
36. विष अधिनियम 1919
37. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
38. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 1994
39. रेल अधिनियम 1989
40. रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम अधिनियम 1957
41. रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966

42. पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
43. पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
44. राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
45. केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
46. ब्याज अधिनियम 1978
47. उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986
48. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970
49. उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999
50. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970
51. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
52. उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948
53. उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983
54. उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
55. उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944
56. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
57. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमवाली) 1999
58. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955
59. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964
60. उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964
61. उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964
62. उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994
63. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
64. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
65. वित्तीय हस्त पुस्तिका
66. समय-समय पर निर्गत शासनादेश
67. उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख

क्र० सं०	अभिलेखों की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	ईकाई/शाखा जहां उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधी के सम्बन्ध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के सम्बन्ध में	सभी पुलिस थानों पर	तीन साल
2.	दैनिक सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधि०/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक माह सी.ओ. कार्यालय पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3.	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधि०/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रखा जाएगा राजपत्रित अधि० के आदेश पर ही नष्ट होगी।
4.	भगोडा(मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	05 वर्ष
5.	रोकड बही	धनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम में
6.	आरोप पत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7.	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी थाने पर	तीन साल
8.	356 द०प्र०सं० के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी थाने पर	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9.	432 द०प्र०सं० के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी थाने पर	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
10.	गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट	थानाक्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	सभी थाने पर	एक साल
11.	अपराध रजिस्टर	थानाक्षेत्र में की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	सभी थाने पर	पाच साल
12.	चौकीदारों का अपराध नोट बुक	चौकीदार के ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदारों के पास	चौकीदारों को जब तक नई नोट बुक प्रदान न की जाए
13.	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर नं० 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप
14.	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का उल्लेख	सभी थानों/पुलिस लाइन में	एक साल पूर्ण होने के बाद

15.	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों/पुलिस लाइन में	पांच साल
16.	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थानों पर	एक साल
17.	अगुष्ट छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्टछाप लिया गया है	सभी थानों पर	स्थानी रूप से
18.	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचक	सभी थानों पर	तीन साल
19.	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैरों का विवरण	सभी थाने पर व डीसीआरबी	पूर्ण होने के पांच साल तक
20.	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानों पर	दो साल
21.	जांचोपरान्त अ	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बहार जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	सभी थानों पर	तीन साल
22.	जांच पर्ची ब	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बहार जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	सभी थानों पर	तीन साल
23.	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियों का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप से
24.	पंचायतनामा जिल्द	अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण	सभी थानों पर	एक साल
25.	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानों पर व शाखाओं में	पांच साल
26.	माल मसरूका रजिस्टर	चोरी/लूट गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानों पर	पांच साल
27.	रिमाण्डशीट पु0 प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानों पर	एक साल
28.	मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थानों पर	पूर्णता से 5 साल तक
29.	109 धारा के अर्न्तगत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थानों पर	दो वर्ष
30.	110 सीआरपीसी के अर्न्तगत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थानों पर	दो वर्ष
31.	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें	सभी थानों पर	स्थाई
32.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट कये जाने के आदेश तक
33.	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों सम्बन्धी निर्देश	सभी कार्यालय में	उपरोक्त
34.	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधियों जनजातियों के सम्बन्ध में	समस्त थानों पर	उनके मृत्यु तक
35.	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	समस्त थानों पर	निगरानी उचित समझे जाने तक
36.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	समस्त थाने पर	02 वर्षों तक
37.	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	समस्त थाने पर	05 वर्षों तक

38.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	समस्त थाने पर	05 वर्षों तक
39.	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के सम्बन्ध में	समस्त थाने पर	स्थायी
40.	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के सम्बन्ध में	समस्त थाने पर	स्थायी
41.	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना	समस्त थाने पर	05 वर्षों तक
42.	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानातों का विवरण	समस्त थाने पर	05 वर्षों तक
43.	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही विवरण	समस्त थानों पर	05 वर्षों तक
44.	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्या0/अन्य कार्या0 में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानों/कार्यालय में	02 वर्षों तक
45.	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के सम्बन्ध में	समस्त थाने पर	स्थायी
46.	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	समस्त थाने पर	स्थायी
47.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालय में	01 वर्ष तक

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

क्र० सं०	अभिलेखों की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहां उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरी का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
2.	जेड रजिस्टर	केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण	उपरोक्त	स्थायी
3.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	उपरोक्त	02 वर्ष तक
4.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	उपरोक्त	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	उपरोक्त	05 वर्ष तक
6.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	उपरोक्त	01 वर्ष तक
7.	विशेष अपराध पत्रावलियां	विशेष अपराधों का विवरण	उपरोक्त	स्थायी
8.	जांच पत्रावलियां	शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में	उपरोक्त	05 वर्ष तक

6.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहां उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
2.	परिपत्र सूचनओ की फाइल	समस्त परिपत्र	उपरोक्त	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
3.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	उपरोक्त	05 वर्ष तक
4.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशो का विवरण	उपरोक्त	01 वर्ष तक
5.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में	उपरोक्त	स्थायी
6.	जॉच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जॉच के सम्बन्ध में	उपरोक्त	05 वर्ष तक

6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा उपलब्ध होगी	जहां	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	प्रधानलिपिक कार्यालय में		स्थायी
2.	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय		स्थायी
3.	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय		05 वर्ष तक
4.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत कार्यालय में	प्रकोष्ठ	05 वर्ष तक
5.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधानलिपिक कार्यालय में		अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
6.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय से		05 वर्ष तक
7.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय से		01 वर्ष तक
8.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय से		स्थायी
9.	सर्विस बुक/चरित्र पंजिका	समस्त रैंकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास			
10.	कैश बुक/पे-बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन-देन के सम्बन्ध में	आंकिक शाखा		स्थायी
11.	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के सम्बन्ध में	आंकिक शाखा		स्थायी
12.	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाइन		स्थायी
13.	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाइन		40 वर्षों तक

7. जनता की परामर्श दायी समितियां :-

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर निति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है।

क्र०सं०	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आवृत्ति
1	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है।	गंव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	गोष्ठियों की आवृत्ति स्मय-स्मय पर
2	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेंशनर्स के द्वारा गठित होती है।	पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4	जिला सडक सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सडक सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6	शांति समिति	क्षेत्र के सम्भ्रांत नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानुसार
7	मेला समिति	मेले से संबंधित सम्भ्रांत व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु।	मेले के आयोजन से पूर्व
8	संसद व विधायकगण की गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव/परामर्श के लिये	मासिक

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9.पुलिस अधिकारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री

जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

क्र०सं०	मुख्यालय/अधीनस्थ परिक्षेत्र/जनपद(थाना सहित का नाम)	कार्यालय/पदधारक का नाम	कार्यालय का टेलीफोन नम्बर (कोड सहित)	सीयूजी मोबाईल नम्बर
1	जनपद मुजफ्फरनगर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	0131-2436394 , 0131-2437474	9454400314
2		पुलिस अधीक्षक,नगर	0131-2436177	9454401127
3		पुलिस अधीक्षक,ग्रामीण	0131-2634050	9454401128
4		पुलिस अधीक्षक,अपराध	0131-2436394	9454401212
5		पुलिस अधीक्षक,यातायात	0131-2436394	9454458222
6		क्षेत्राधिकारी नगर	0131-2644055	9454401610
7		क्षेत्राधिकारी नई मण्डी	0131-2644055	9454458179
8		क्षेत्राधिकारी सदर	0131-2436394	9454401612
9		क्षेत्राधिकारी खतौली	01396-272328	9454401611
10		क्षेत्राधिकारी जानसट	01396-235151	9454401613
11		क्षेत्राधिकारी भोपा	01396-235151	9454458180
12		क्षेत्राधिकारी बुढाना	01392-233435	9454401615
13		क्षेत्राधिकारी फुगाना	01392-233435	9454458181
14		क्षेत्राधिकारी अपराध	0131-2436394	9454458179
15		क्षेत्राधिकारी कार्यालय	0131-2436394	9454401617
16		क्षेत्राधिकारी आंकिक	0131-2436394	9454458179
17		क्षेत्राधिकारी यातायात	—	—
18		प्रतिसार निरीक्षक	0131-2644070	9454402403
19		एल०आई०यू०	0131-2436394	9454402053
20		पुलिस कन्ट्रोल रूम,मु०नगर	0131-2645238	9454404087
21	थाना कोतवाली नगर	थाना प्रभारी	0131-2433108	9454404073
22	थाना सिविला लाईन्स	थानाध्यक्ष	0131-2644165	9454404064
23	थाना महिला थाना	थाना प्रभारी	0131-2644099	9454404764
24	थाना नई मण्डी	थाना प्रभारी	0131-2607916	9454404077

25	थाना सिखेडा	थानाध्यक्ष	01396-238010	9454404084
26	थाना पुरकाजी	थाना प्रभारी	0131-2470446	9454404080
27	थाना छपार	थाना प्रभारी	0131-2484435	9454404079
28	थाना चरथावल	थानाध्यक्ष	0131-2482423	9454404063
29	थाना खतौली	थाना प्रभारी	01396-272328	9454404072
30	थाना मन्सूरपुर	थानाध्यक्ष	01396-252223	9454404675
31	थाना जानसठ	थाना प्रभारी	01396-234133	9454404067
32	थाना मीरापुर	थाना प्रभारी	013196-243032	9454404076
33	थाना रामराज	थानाध्यक्ष	013196-246771	9454404081
34	थाना भोपा	थाना प्रभारी	013196-265634	9454404061
35	थाना ककरौली	थाना प्रभारी	013196-225129	9454404070
36	थाना बुढाना	थाना प्रभारी	013192-233324	9454404062
37	थाना शाहपुर	थानाध्यक्ष	013192-255565	9454404082
38	थाना रतनपुरी	थाना प्रभारी	01392-282225	9454404066
39	थाना फुगाना	थाना प्रभारी	01392-262300	9454404078
40	थाना तितावी	थाना प्रभारी	0131-2486616	9454404086
41	थाना भौराकला	थानाध्यक्ष	01392-266740	9454404060

टिप्पणी:- राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों के सी.यू.जी. मो0न0 पदनाम से आवटित है, जो कि यथावत रहेंगे।

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषक

10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं०	पद	वर्तमान(रूपये में)	पौष्टिक आहार भत्ता(रूपये में)	वर्दी धुलाई भत्ता (रूपये में)
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	37,400-67,000		-
2	अपर पुलिस अधीक्षक	15,600-39,100	800	300
3	पुलिस उपाधीक्षक	15600-39100	800	300
4	निरीक्षक	9,300-34,800	1500	188
5	उप निरीक्षक	9,300-34,800	1500	188
6	मुख्य आरक्षी	5,200-20,200	1875	188
7	आरक्षी	5,200-20,200	1875	188
8	अनुचर	5,200-20,200	1688	-

10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं०	पद	वर्तमान(रूपये में)	पौष्टिक आहार भत्ता(रूपये में)	वर्दी धुलाई भत्ता (रूपये में)
1	सहायक रेडियो अधिकारी	15,600-39,100	800	300
2	रेडियो निरीक्षक	9,300-34,800	1500	188
3	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी / रेडियो केन्द्र अधिकारी	9,300-34,800	1500	188
4	हेड आपरेटर	9,300-34,800	1500	188
5	सहायक परिचालक	5,200-20,200	1875	188
6	अनुचर / सन्देशवाहक	5,200-20,200	1688	156

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं०	पद	वर्तमान(रूपये में)	पौष्टिक आहार भत्ता(रूपये में)	वर्दी धुलाई भत्ता (रूपये में)
1	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	15,600-39,100	800	300
2	अग्नि शमन अधिकारी	9,300-34,800	1500	188
3	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9,300-34,800	1500	188
4	लीडिंग फायरमैन / हे०कां०ड्रा०फा०सर्वि	5,200-20,200	1875	188
5	फायरमैन	5,200-20,200	1875	188

10.4 लिपिकीय वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं०	पद	वर्तमान(रूपये में)	पौष्टिक आहार भत्ता(रूपये में)	वर्दी धुलाई भत्ता (रूपये में)
1	निरीक्षक (एम)	9,300-34,800	1500	188
2	एस०आई०(एम०)	9,300-34,800	1500	188
3	ए०एस०आई०(एम०)	5,200-20,200	1500	188
4	उर्दू अनुवादक	5200-20,200	—	—

10.50^प36 लिपिकीय वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं०	पद	वर्तमान(रूपये में)	पौष्टिक आहार भत्ता(रूपये में)	वर्दी धुलाई भत्ता (रूपये में)
1	निरीक्षक (एम)	9,300-34,800	1500	188
2	एस०आई०(एम०)	9,300-34,800	1500	188
3	ए०एस०आई०(एम०)	5,200-20,200	1500	188
4	उर्दू अनुवादक	5200-20,200	—	—

10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र०सं०	पद	वर्तमान(रूपये में)	पौष्टिक आहार भत्ता(रूपये में)	वर्दी धुलाई भत्ता (रूपये में)	विशेष भत्ता
1	उ०नि० परिवहन	9,300-34,800	1500	188	
2	मुख्य आरक्षी	5,200-20,200	1875	188	रु० 30
3	आरक्षी चालक	5,200-20,200	1875	188	रु० 30
4	चतुर्थ श्रेणी	5200-20,200	—	—	रु० 30

10.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र०सं०	पद	वर्तमान(रूपये में)	पौष्टिक आहार भत्ता(रूपये में)	विशेष भत्ता
1	पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना	15,600-39,100	—	2,500
2	निरीक्षक अभिसूचना	9,300-34,800	1500	2000
3	ड०नि०अभिसूचना	9,300-34,800	1500	2000
4	मुख्य आरक्षी अभिसूचना	52,00-20,200	1875	1,000
5	आरक्षी अभिसूचना	5,200-20,200	1875	1,000

11.बजट

क्र०सं०	लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2018-2019	
		3	4
1	2		
1	वेतन	1,44,64,91000-00	1,42,57,39382-00
2	यात्रा व्यय	4,15,39000-00	4,08,29676-00
3	ग्रीष्म एवं शीत कालीन व्यय	-	-
4	फर्नीचर क्रय एवं मरम्मत	3,09,000-00	3,09,000-00
5	अन्य छुद्र आकस्मिक व्यय	-	-
6	विद्युत प्रकाश व्यय	6,05,68000-00	6,06,30467-00
7	स्टेशनरी / छपाई पर व्यय	3,11,000-00	3,07,520-00
8	अपराधियो घायलो के परिवहन पर व्यय	-	-
9	टेप्टो की मरम्मत	-	-
10	सइकिल का क्रय / मरम्मत	-	-
11	अंशकालिक मजदूरो का वेतन	3,64000-00	3,64,000-00
12	अभियुक्तो के भोजन पर व्यय	-	-
13	पुरुस्कार	406000-00	406000-00
14	वर्दी भत्ता	-	-
15	मार्ग रक्षको का व्यय	-	-
16	टेलीफोन व्यय	80000	80000
17	पेट्रोल पर व्यय एवं अनुरक्षण	3,45,99000-00	3,05,30,883-00

12. सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग:-

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण:-

शून्य

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता :-

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा ।

15. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें :-

क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण / समस्त क्षेत्राधिकारीगण	प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घण्टे।
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु० प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु० प्रति 15 मिनट, सूचना के लिये रु०-50/- प्रति सीडी तथा छपे दस्तावेजों के वास्तविक लागत पर।	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक।	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु० प्रति आवेदन-पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त
6	अभिलेखीय सूचना रु०-2/- प्रतिपृष्ठ की दर से।	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250/- रु० प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रु०) देय होगा।

13174



पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

बॉटिंग, टाउन-4, पुलिस मुख्यालय, अपर हाईवे पथ, सोपौलीनगर विस्तार, लखनऊ - 226002

e-mail : uppcc-up@nic.in

पत्र संख्या : टीएससी-142/2012 (IX)

दिनांक : मई 25, 2022

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
जनपद - MUZAFFAR NGR

वेबसाइट अपडेटिंग स्टेटस रिपोर्ट

(समीक्षा किये जाने की तिथि - 25 मई 2022 (10:00 AM))

कृपया पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के परिपत्र सं० टीएससी-142/2012 दिनांक 12/11/2013 एवं 26/05/2016 में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन में पुलिस वेबसाइट के सम्बन्ध में समीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक पक्ष में आपके अवलोकनार्थ ईमेल से भेजी जा रही है। उ०प्र० पुलिस वेबसाइट <https://uppolice.gov.in/> के Police Units मेन्यू के अन्तर्गत आपके अधीनस्त जनपद/इकाई **MUZAFFAR NGR** से सम्बन्धित विवरण निम्न सबमेन्यू के अधीन प्रदर्शित है -

क.सं.	मेन्यू	विवरण
1	Official (सी०यू०जी० एवं एन०आई०सी० का ईमेल)	<ul style="list-style-type: none"> ईमेल आईडी - पूर्ण सीयूजी/मोबाइल नं० - पूर्ण
2	Good work/Press Release (पिछले 30 दिवस के अन्दर)	Last Updated on - 04/05/2022
3	Tender	अपलोड किये जाने की व्यवस्था जनपद स्तर से ही है। Click here - https://uppolice.gov.in/en/tenders
4	RTI (धारा 4(1)बी, आर०टी०आई० एक्ट के अनुसार मेनुअल प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा किसी परिवर्तन के होने पर अद्यावधिक कर अपलोड की जायेगी)	Last Updated on - 08/07/2020 (वित्तीय वर्ष 2022-2023 की फाइल अपलोड कराये) Click here - https://uppolice.gov.in/frmRTIList.aspx आर०टी०आई० मेनुअल में जनसूचना अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के नाम अपडेट रखना अत्यन्त आवश्यक है।
5	Know your Police Station (थाने के प्रभारी, कार्यक्षेत्र, फोटो, सर्किल अधिकारी का विवरण)	प्रत्येक एस०ओ०/एस०एच०ओ० एवं थाने के क्षेत्राधिकारी की सूचना में परिवर्तन होने पर तत्काल अपडेट कराया जाये। Click here for Check your Police Station in District - https://drive.google.com/open?id=1j4M88oCE3_4iFYPNTEeQW1671yh536nk

उक्त से सम्बन्धित सूचनाएँ अद्यावधिक (अपडेट) करने हेतु आपके अधीनस्थ वेबसाइट नोडल आपरेटर **JitendraSingh(CompOperatorGradeA)** मोबाइल नं० **7017959611** को अधिकृत लॉगिन दिया गया है। नोडल आपरेटर द्वारा अन्तिम लॉगिन **May 24 2022 7:27PM** को किया गया है।

नोट - पुलिस वेबसाइट पर **MUZAFFAR NGR** से सम्बन्धित उपरोक्त प्रदर्शित सूचनाओं को देखने के लिए निम्न लिंक पर जाये - <https://uppolice.gov.in/article/en/police-units>

कृपया सम्बन्धित को समस्त सूचनाएं अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक,
उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र,
लखनऊ

प्रतिलिपि :- जनरल स्टाफ ऑफिसर (GSO), पुलिस महानिदेशक उ०प्र० को ई-मेल द्वारा सूचनार्थ।

कम्प्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम :-

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस मे लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है:-

क्र०सं०	जन सूचना अधिकारी का पदनाम व सम्पर्क	सहायक जनसूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी का पद नाम व सम्पर्क सूत्र
1	पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण मुजफ्फरनगर 9454401128	समस्त क्षेत्राधिकारीगण मुजफ्फरनगर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर। 9454400314

17. अन्य कोई विहित सूचना

शून्य


पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण /
नोडल अधिकारी जनसूचना
जनपद मुजफ्फरनगर।

8/6/22